न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

(1) 223RTA 051 of 2022 (GCMS 164 of 2022)

1. ताजाराम पुत्र मूलाराम
2. मगाराम पुत्र मूलाराम
3. मगनी पत्नी मूलाराम
4. हुकमाराम पुत्र नाथाराम
5. मुल्तानाराम पुत्र नैनाराम
6. चुनाराम पुत्र नैनाराम
7. मोहनराम पुत्र नैनाराम

सभी जाति जाट, निवावीगण ग्राम माण्डीयाई खुर्द
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बाबुराम पुत्र नवलाराम
2. हरजीराम पुत्र नवलाराम
3. देदाराम पुत्र नवलाराम
4. अन्नाराम पुत्र मगनाराम
5. अचलाराम पुत्र नैनाराम

सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम माण्डीयाई खुर्द
तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

6. राजस्थान राज्य
जरिये तहसीलदार तिंवरी
जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसम्बर 2020 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 63/2018 (37ए/20) बाबूराम बनाम हरजीराम इत्यादि

----

(2) 223RTA 051 of 2022 (GCMS 164 of 2022)

1. हुकमाराम पुत्र नाथाराम

21-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

2. मोहनराम पुत्र नेनाराम
3. नाथाराम पुत्र नेनाराम
   सभी ज़ाति जाट, निवावीगण ग्राम माण्डीयाई खुर्द
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर

अपीलाण्ट्स ...

ब

ना

म

1. बाबुराम पुत्र नवलाराम
2. हरजीराम पुत्र नवलाराम
3. देदाराम पुत्र नवलाराम
   सभी जाति जाट, निवासीगण ग्राम माण्डीयाई खुर्द
   तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर
4. राजस्थान राज्य
   जरिये तहसीलदार तिंवरी
   जिला जोधपुर

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां राजस्व मूल वाद संख्या 47/2021 बाबूराम बनाम देदाराम इत्यादि

उपस्थित-

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स
श्री अर्जुनसिंह, अधिवक्ता-रेस्पो.
श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांक : 21 दिसम्बर 2023

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 63/2018 (37ए/20) बाबूराम बनाम हरजीराम इत्यादि

21.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 03 दिसम्बर 2020 के खिलाफ अपीलाण्ट्स ताजाराम इत्यादि ने अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील संख्या 51/2022 (जीसीएमएस 164/2022) दिनांक 04 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ अपीलाण्ट्स की ओर से भारतीय समय सीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थनापत्र पेश कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया गया।

इसी प्रकार न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 47/2021 बाबूराम बनाम देदाराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 के खिलाफ अपीलाण्ट्स हुकमाराम इत्यादि ने अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस 178/2022) दिनांक 11 अप्रैल 2022 को प्रस्तुत की है। अपील के साथ प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

इन दोनों अपीलों से संबंधित वादग्रस्त आराजियात एवं पक्षकारान समान होने एवं तथ्यों एवं परिस्थितियों से दोनों अपीलें परस्पर प्रभावित होने के कारण उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण के अनुरोध एवं सहमति से इन दोनों अपीलों का निस्तारण एक साथ इस एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक संबंधित अपील पत्रावली के संलग्न रखी जावे।

अपील संख्या 51/2022 (जीसीएमएस 164/2022) से संबंधित तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष वादी-रेस्पो. बाबूराम द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 53 एवं 188 के तहत एक राजस्व वाद प्रतिवादीगण (अपीलाण्ट्स 1 से 3 के पूर्वज मूलाराम, अपीलाण्ट संख्या 4 के पिता नाथाराम व अपीलाण्ट्स संख्या 5 से 7

21.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कमशः मुल्तानाराम, चूनाराम और मोहनराम पिसरान नैनाराम तथा रेस्पो. संख्या 2 से 5 कमशः बाबूराम, हरजीराम, देदाराम पिसरान नवलाराम, अन्नाराम पुत्र मगनाराम तथा अचलाराम पुत्र नैनाराम) के खिलाफ खसरा संख्या 22 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 23 रकबा 24 बीघा 10 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 39 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 108 रकबा 29 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा संख्या 111 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा वाके मौजा माण्डियाईखुर्द के संबंध में खातेदारी अधिकारों की घोषणा, माप एवं सीमांकन के आधार पर विभाजन एवं स्थायी निषेघाज्ञा बाबत प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त वाद दिनांक 19 अगस्त 2019 को स्वीकार कर प्राथमिक डिकी जारी करते हुए वादग्रस्त आराजियात में वादी-रेस्पो. संख्या एक को ½ हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया और बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स सुगम रास्ता रखते हुए विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किये जाने हेतु संबंधित तहसीलदार को निर्देशित किया। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी के अनुसरण में विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारण न्यायालय द्वारा निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 26 फरवरी 2020 पारित किये गये और वादी-रेस्पो. संख्या एक के हिस्से में ग्राम माण्डियाई खुर्द के खसरा संख्या 23 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 27 रकबा 09 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा संख्या 108 रकबा 07 बीघा 16 बिस्वा भूमि रखी गयी और प्रतिवादीगण के पक्ष में खसरा संख्या 22 रकबा 06 बिस्वा, खसरा संख्या 23/1 रकबा 12 बीघा 05 बिस्वा, खसरा संख्या 27/1 रकबा 29 बीघा 16 बिस्वा 10 बिस्वांसी, खसरा संख्या 108/1 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा तथा खसरा संख्या 111 रकबा 25 बीघा 14 बिस्वा भूमि रखी गयी।

अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस 178/2022) से संबंधित प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का वादग्रस्त भूमि

21-12-23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

खसरा नं. 133/23 रकबा 2.8733 हैक्टेयर, खसरा नं. 135/27 रकबा 2.2096 हैक्टेयर ग्राम माण्डियाई खुर्द तहसील तिवंरी के संबंध में अपीलांट्स को पक्षकार बनाये बिना अन्य रेस्पोडेंट्स के विरूद्ध पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद स्वीकार कर दिनांक 15 फरवरी 2022 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गई, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए अपील संख्या 51/2022 (जीसीएमएस 164/2022) के संबंध में कथन किया कि विभाजन प्रस्ताव नियमानुसार संबंधित तहसीलदार स्वयं द्वारा मौके पर पक्षकारान की उपस्थिति में तैयार किया जाने का प्रावधान है, किन्तु आलौच्य मामले में विभाजन प्रस्ताव पटवारी हळका द्वारा तैयार किये गये है। अतः राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना सुनिश्चित बिना पारित निर्णय एवं फाइनल डिकी दिनांक 26 फरवरी 2020 खारिज किये जाने योग्य है। धारा 114 सीपीसी के प्रार्थनापत्र बाबत भी अपीलाण्ट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया और संशोधित निर्णय दिनांक 10 अगस्त 2020 पारित कर दिया गया, जो खारिज किये जाने योग्य है। अपील मियादशुमार किये जाने का निवेदन करते हुए अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स ने जाहिर किया कि विचारण न्यायालय में अपीलाण्ट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया, इस कारण वाद की कार्यवाही एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिकियों के संबंध में समुचित समय में अपीलाण्ट्स को कोई जानकारी नहीं हुई। दिनांक 24 मार्च 2022 को मौका पैमाईश हेतु पटवारी हळका मौके पर आने और अपीलाण्ट्स को कब्जा खाली करने का कहने पर विचारण न्यायालय से जानकारी कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिकीयों की प्रमाणित प्रतियॉ (जो दिनांक 01 अप्रेल 2022 को प्राप्त हुइ) प्राप्त करने पर अपीलाण्ट्स को जानकारी हुई। आलौच्य अपील जानकारी की दिनांक से

21-12-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

निर्धारित समय सीमा में प्रस्तुत कर दी गयी है जो अन्दर मियादशुमार की जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जावे।

अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस 178/2022) के संबंध में कथन किया कि अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के मध्य पूर्व में एक वाद दिनांक 03 दिसंबर 2020 को एक तरफा निस्तारित किया था, जिसके विरूद्ध वर्तमान में न्यायालय में अपील ताजाराम बनाम बाबुराम अनवान से पूर्व बंटवाड़ा को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है। ऐसी स्थिति में उक्त वादइसलिए बंटवाड़े का यह वाद पोषणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रत्यर्थीगण द्वारा बिना घोषणा के ही वाद प्रस्तुत किया गया है, इस कारण वाद चलने योग्य नहीं रह जाता है जो अपास्त व निरस्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थीगण द्वारा आपस में मिलावट की गई है, इसलिए जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए तथा वाद का निस्तारण पूर्व तथ्यों को छुपाते हुए करवाया गया है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपीलार्थीगण विवादित भूमि के खातेदार है तथा पूर्व में पक्षकारों के मध्य एक वाद संख्या 63/2018 दिनांक 03 दिसंबर 2020 को विचारण न्यायालय द्वारा निस्तारित किया गया, जिसके विरूद्ध माननीय न्यायालय में अपील ताजाराम व अन्य बनाम बाबूराम इत्यादि के अनवान से लंबित है तथा पूर्व अपील के लंबित रहते उसी विषय पर नया वाद प्रस्तुत नहीं कर सकते। चूंकि अपील लंबित होने के कारण अपीलार्थीगण के हित उक्त बंटवाड़े से प्रभावित होते है इसलिए अपीलार्थीगण हितबद्ध पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने के अधिकारी है। अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार फरमाया जावे एवं अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे एवं अपील अपीलांट्स स्वीकार की

21-12-23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15 फरवरी 2022 को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. संख्या एक ने अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री का समर्थन करते हुए कथन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 63/2018 (37ए/2020) बाबूराम बनाम हरजीराम आदि में उभयपक्षकारान की सहमति से प्राथमिक निर्णय एवं डिकी दिनांक 19 अगस्त 2019 पारित कर विभाजन प्रस्ताव तलब किये गये और विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर नियमानुसार फाइनल डिकी एवं संशोधित फाइनल डिकी कमशः दिनांक 26 फरवरी 2020 एवं दिनांक 10 अगस्त 2020 जारी किये गये है। जिनके खिलाफ अदालत हाजा में प्रस्तुत अपील संख्या 51/2022 (जीसीएमएस 164/2022) में निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 19 अगस्त 2019 बाबत कोई आक्षेप नहीं उठाया गया है। उक्त निर्णय एवं प्राथमिक डिकी के अनुसरण में विधिवत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर फाइनल डिकी एवं संशोधित डिकी जारी की गयी है। अतः प्रस्तुत अपील मियाद-बाधित एवं सारहीन होने से तदनुसार खारिज की जावे।

अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस 178/2022) के संबंध में अधिवक्ता-रेस्पो. का कथन है कि वादी-रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा जमाबंदी में दर्ज खातेदारान् का दावे में पक्षकार संयोजित करते हुए विचारण न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया है। अपीलांट्स उक्त खसरान् की भूमि के खातेदार दर्ज नहीं है। इसलिए अपीलांट्स को अपील प्रस्तुत करने का कानूनन कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय द्वारा जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार ही प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की है। अपीलांट वादग्रस्ज आराजीयात के अन्य बट्टा नंबरान् के खातेदार होने से अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से उनके खातेदारी अधिकारों पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन एवं अनुमति बाधित होने से खारिज फरमायी जावे।

21.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजकीय अधिवक्ता प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायोचित आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया।

अपील संख्या 51/2022 (जीसीएमएस 164/2022) के संबंध में उपलब्ध अभिलेख (अपील के साथ विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित नकलों) का अवलोकन करने पर विदित होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष मूल वाद संख्या 63/2018 में अपीलाण्ट बतौर प्रतिवादीगण संख्या 4/1 से 4/3, 5/1, 6, 7 व 8 पक्षकार संयोजित किये गये है। उक्त मूल वाद संख्या 63/2018 बाबूलाल बनाम हरजीराम इत्यादि विचारण न्यायालय में दिनांक 27 सितम्बर 2018 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया, दिनांक 06 मार्च 2019 को प्रतिवादीगण संख्या 1 व 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा आइन्दा पेशी वास्ते जबाब दिनांक 15 मार्च 2019 मुकर्रर की गयी। बकाया प्रतिवादीगण की तामील होने अथवा नहीं होने के संबंध में उक्त आदेशिका दिनांक 06 मार्च 2019 में कुछ भी अंकित नहीं किया गया। इसके बाद दो पेशियॉ पीठासीन अधिकारी के अवकाश/व्यस्त होने के कारण मुन्तकिल की गयी और दिनांक 19 अगस्त 2019 की आदेशिकानुसार "... वकील उभय पक्षकारान कब्जा काश्त अनुसार विभाजन करने हेतु सहमत है " अंकित करते हुए वाद स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गयी। जाहिर है कि उक्त समस्त कार्यवाही में न तो अपीलाण्ट्स पर कोई नोटिस तामील हुआ, न अपीलाण्ट्स को सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया और न ही उक्त कथित सहमति में अपीलाण्ट्स अथवा उनके अधिवक्ता सम्मिलित रहे है। इन परिस्थितियों में अदालत हाजा की विनम्र राय में विचारण न्यायालय द्वारा मूल वाद संख्या 63/2018 बाबूलाल बनाम हरजीराम इत्यादि में निर्णय एवं प्राथमिक डिकी

21.12.23
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

दिनांक 19 अगस्त 2019 प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धान्तों एवं निर्धारित विधिक् प्रकिया को नजरअंदाज करते हुए पारित गये है जो समर्थन किये जाने योग्य नही पाये जाते है।

अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस 178/2022) के संबंध में विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 47/2021 बाबूलाल बनाम देदाराम इत्यादि दिनांक 25 जुलाई, 2022 को संस्थित किया गया जिसमें अपीलाण्ट्स हुक्माराम पुत्र नाथाराम, मोहनराम पुत्र नेनाराम तथा नाथाराम पुत्र नेनाराम को पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है जबकि अपीलाण्ट्स का इस मामले में मुख्य आक्षेप यही रहा है कि आराजी खसरा संख्या 133/23 एवं खसरा संख्या 135/27 वाके मौजा माण्डियाई खुर्द मूल खसरा संख्या 23 व 27 से बने है और उक्त खसरा संख्या 23 व 27 सहित अन्य खसरा नम्बरान की भूमि बाबत पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 63/2018 बाबूराम बनाम हरजीराम आदि में विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अभी तक विचाराधीन रहने के कारण मामले में मूल खसरा नम्बरान की भूमि से हितबद्ध अपीलाण्ट्स व अन्य सहखातेदारान को भी पक्षकार संयोजित किये बिना कोई निर्णय पारित ही नहीं किया जा सकता। उल्लेखनीय है कि अधिवक्ता-रेस्पो. द्वारा आराजी खसरा संख्या 133/23 एवं खसरा संख्या 135/27 वाके मौजा माण्डियाई खुर्द के मूल खसरा नम्बरान बाबत वस्तुस्थिति स्पष्ट कर अधिवक्ता-अपीलाण्ट्स के उपरोक्त अभिकथन एवं तर्क का समुचित एवं प्रभावी खण्डन नहीं किया गया है। अतः वाद संख्या 47/2021 बाबूलाल बनाम देदाराम इत्यादि में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 फरवरी 2022 समर्थन किये जाने योग्य नहीं पाये जाते है।

उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपील संख्या 51/2022 (जीसीएमएस 164/2022) अन्दर मियादशुमार की

21.12.23

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जाकर गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है और विचारण न्यायालय द्वारा वाद संख्या 63/2018 बाबूलाल बनाम हरजीराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिकी दिनांक 19 अगस्त 2019 तथा उसके अनुसरण में पारित फाइनल डिकी एवं संशोधित फाइनल डिकी कमशः दिनांक 26 फरवरी 2020 एवं दिनांक 10 अगस्त 2020 अपास्त किये जाते है। इसी प्रकार अपील संख्या 55/2022 (जीसीएमएस 178/2022) के साथ प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट्स को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है तथा प्रस्तुत अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जाती है तथा मूल वाद संख्या 47/2021 बाबूराम बनाम देदाराम आदि में विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 15 फरवरी 2022 अपास्त किये जाते है। साथ ही दोनों प्रकरण इस निर्देश साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाते है कि दोनों राजस्व वाद में पुनः नये सिरे से कार्यवाही की जावे और उभयपक्षकारान को अपना पक्ष प्रस्तुत करने और साक्ष्य-सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जावे और राजस्व वाद संख्या 63/2018 बाबूराम बनाम हरजीराम आदि में वादग्रस्त आराजियात बाबत पक्षकारान के हक-हकूक व हिस्से विनिश्चित कर प्राप्त होने वाली भूमि मय खसरा नम्बर तथा राजस्व वाद संख्या 47/2021 बाबूराम बनाम देदाराम इत्यादि में वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 133/23 रकबा 2.8733 तथा खसरा संख्या 135/27 रकबा 2.2096 वाके मौजा माण्डियाईखुर्द के मूल खसरा नम्बरान बाबत वस्तुस्थिति अभिलेख पर लेते हुए मामलों का विधिसम्मतः एवं न्यायोचित निस्तारण किया जावे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21.12.23

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर